राजस्थान सरकार

निदेशालय, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :–एफ.3 (क)आर–211/83/लिंक नं0– 814/अलेसे–II/ दिनांक :–

कार्यालय–आदेश

श्री रामेश्वर लाल तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय भेड़ प्रजनन फार्म, फतेहपुर जिला सीकर में कार्यरत रहने के दौरान पाला सप्लाई में पाई गई अनियमिताओं के कारण एसीबी में दर्ज अपराध संख्या 114/2004 में दोषी पाये जाने पर विभागीय आदेश संख्या 1734–1744 दिनांक 16.04.2009 के द्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.05.2009 के द्वारा निलम्बन आदेश स्थगित किये जाने पर विभागीय आदेश संख्या 4026–4033 दिनांक 12.06.2009 के द्वारा कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी फतेहपुर (सीकर) में उपस्थिति देने की दिनांक से बहाल किया गया।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, फतेहपुर के पत्र दिनांक 04.03.2014 के द्वारा अवगत कराया कि श्री रामेश्वर लाल ने उनके कार्यालय में दिनांक 02.02.2009 को उपस्थिति दी थी तथा दिनांक 07.10.09 तक इस कार्यालय में रहे थे तथा उन्हें 2/09 से 09/09 तक वेतन भुगतान किया गया है। श्री रामेश्वर लाल के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में निलम्बन आदेश के विरूद्व स्थगन प्राप्त करने के कारण निलम्बन अवधि के लिए तत्कालीन कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी फतेहपुर से पूर्व वेतन आहरित किया जा चुका है।

अतः दिनांक 16.04.09 से 12.06.09 तक की निलम्बन काल की अवधि को सभी प्रयोजनों के लिए सेवा अवधि माने जाने के एतद् द्वारा आदेश प्रदान किये जाते है।

(भास्कर शर्मा)

निदेशक

क्रमांक :–एफ.3 (क)आर–211/83/लिंक नं0– 814/अलेसे–II/ 11969-11980 दिनांक :– 02.06.2015

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
2. अधीक्षक, भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर (सीकर)।
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)।
4. कोषाधिकारी, सीकर।
5. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. श्री रामेश्वर लाल लेखाकार, खण्ड मुख्य चिकि. अधिकारी, खण्डेला, सीकर।
7. संयुक्त निदेशक, विधि/जांच।
8. एसीआर/कम्प्यूटर शाखा/पदस्थापन।
9. डीपीसी शाखा।
10. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर

Website - dta.raj.nic.in, E-Mail Id - jdp-ta-rj@nic.in Fax-2742309, Tel.- 2744134

D:\sas-ii\himmat ji\simple letter.docx